

21⁹/₂₂

पत्रावली पेशी में भेजिए। वकील उद्योग
उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता
को धाट-2 आवृत्त लगाई गई। कायाप
लगाते के उपरान्त की अशालोक/वधालोक
उपस्थित नहीं आये के कारण वाद-पत्र वादी
अदक परती/अदक हापरी के खातिर भिजा
जाता है। पत्रावली नम्बर से वह की जाय
वाद तकमील वाकील दस्तूर है।



सहायक कलक्टर
एवं उपखांडाधिकारी
हनुमानगढ़